



**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,  
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बैजरौ (गढ़वाल)**  
Office of The Executive Engineer, Construction Division P.W.D. Baijro (Garhwal)  
E-mail : eepwdbaijro@rediffmail.com, eepwdbaijro01@gmail.com



पत्रांक:- 279/14 सी0

दिनांक:- 16 02/2026

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी  
गढ़वाल वनप्रभाग पौड़ी

विषय- जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड बीरोंखाल में ग्राम स्यूंसी होते हुये आमकुलाऊ तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.99 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में। (Online Proposal No. FP/UK/ROAD/43022/2019)

महोदय,


उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग का ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या /FP/UK/ROAD/43022/2019 की सैद्धान्तिक स्वीकृति उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 88(1)X-3-20/1(10)/2020 दिनांक 03.02.2020 द्वारा प्राप्त है। विधिवत स्वीकृति प्राप्त करने हेतु शर्तों का बिन्दुवार अनुपालन निम्नानुसार है।

क्र० सं०	अधिरूपित शर्त	विधिवत स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी	वांछित अतिरिक्त धनराशि भी डिमाण्ड नोट के सापेक्ष जमा कर दी गई है जोकि ऑनलाईन पेमेन्ट हिस्ट्री में पेड प्रदर्शित हो रही है। (संलग्नक-1)
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995के अन्तर्गत आई0एस0सं0- 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	इस खण्ड द्वारा भारत सरकार के पत्र सं0 5-3/2007 एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित धनराशि जमा की जा चुकी है। (संलग्नक-1)
3	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय से वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोतरी है तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं0 5-3 2007 एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धक तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं0- एस0बी0-25229 कॉरपोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लॉक -11 भूतल सी0जी0ओ0 कॉम्प्लैक्स फेज-1 लोधी रोड नई दिल्ली -110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया होगा) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा किये जाने की वचनबद्धता का प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-2)
4	प्रयोक्ता अभिकरण प्रस्तावित निर्माण कार्य के जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कडाई से अनुपालन किया जाय।	प्रस्तावित निर्माण कार्य के जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कडाई से अनुपालन किये जाने का प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-3)
5	प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।	प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-4)
6	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नही होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने के अधिकार सुरक्षित है।	जी हों।

उपरोक्तानुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति उपरान्त विधिवत स्वीकृति प्राप्त करने हेतु समस्त निहित शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है।

*(Signature)*

अतः अनुरोध है कि उक्त मोटर मार्ग की विधिवत स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु प्रस्ताव अपने स्तर से भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु पर्यावरण मंत्रालय क्षेत्री कार्यालय 25 सुभाष रोड देहरादून को अग्रसारित करने का कष्ट करें।  
संलग्न- उपरोक्तानुसार।

  
(ई० लोकेश सारस्वत)  
अधिकासी अभियन्ता,  
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,  
बैजरौ (गढ़वाल)

पत्रांक:- / दिनांक:- / /2026  
प्रतिलिपि- अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय एफ०आर०आई० उत्तराखण्ड देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।  
प्रतिलिपि- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।  
प्रतिलिपि- जिलाधिकारी महोदय, पौडी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।  
प्रतिलिपि- सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/खण्डीय अमीन लो०नि०वि०, बैजरौ को इस आशय से प्रेषित कि व्यक्तिगत रूप से नोडल कार्यालय देहरादून में उपस्थित होकर प्रस्ताव की अद्यतन स्थिति प्राप्त कर अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायें।

अधिकासी अभियन्ता,  
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,  
बैजरौ (गढ़वाल)

अतः अनुरोध है कि उक्त मोटर मार्ग की विधिवत स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु प्रस्ताव अपने स्तर से भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु पर्यावरण मंत्रालय क्षेत्री कार्यालय 25 सुभाष रोड देहरादून को अग्रसारित करने का कष्ट करें।  
संलग्न- उपरोक्तानुसार।

(इ० लोकेश सारस्वत)  
अधिशाली अभियन्ता,  
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,  
बैजरो (गढ़वाल)

पत्रांक:- 279/14/ली०

दिनांक:- 16 /02/2026

प्रतिलिपि-

अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय एफ०आर०आई० उत्तराखण्ड देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

सादर

प्रतिलिपि-

जिलाधिकारी महोदय, पौडी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-

सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/खण्डीय अमीन लो०नि०वि०, बैजरो को इस आशय से प्रेषित कि व्यक्तिगत रूप से नोडल कार्यालय देहरादून में उपस्थित होकर प्रस्ताव की अद्यतन स्थिति प्राप्त कर अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायें।

अधिशाली अभियन्ता,  
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,  
बैजरो (गढ़वाल)

संख्या: /X-3-20/1(10)/2020

प्रेषक,

सुभाष चन्द्र,  
अपर सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।



सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
वन भूमि हस्तांतरण, इन्दिरा नगर,  
फारेस्ट कालोनी देहरादून।

फरवरी 2020

देहरादून: दिनांक: 03 फरवरी 2020

वन अनुभाग-3

विषय: जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड बीरोंखाल में ग्राम स्यूसी होते हुये आमकुलाऊ तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.99 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1625/FP/UK/ROAD/43022/2019 दिनांक 06 जनवरी, 2019 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड बीरोंखाल में ग्राम स्यूसी होते हुये आमकुलाऊ तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.99 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा मार्च 2019 में निर्गत मार्ग निर्देशिका के प्रस्तर 4.1 एवं 4.2 में दिये गये दिशा-निर्देश के क्रम में निहित प्रावधानों द्वारा प्रदत्त प्राधिकार का प्रयोग करते हुए अधोलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं :-

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/ 1995 के अंतर्गत आई0ए0स0-566 एवं भारत सरकार पत्र सं0-5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बड़ी हुई धनराशि प्रयोक्त अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं0 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं0-एस0बी0-25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक-11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।

1- श्री देवराज सिंह सहाय अभियंता, M-  
2- " सहायक अभियंता, M-  
मू. प्र. नं. 10

4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
5. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों / प्रमाण-पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।
6. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
7. उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

भवदीय,

(सुभाष चन्द्र)  
अपर सचिव।

संख्या: 88 (1)/X-3-20/1(10)/2020, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी।
4. जिलाधिकारी, पौड़ी।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।
6. अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बैजरो, पौड़ी।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्यप्रकाश सिंह)  
उप सचिव।



**PARIVESH**  
परिवेश

"Pro Active and Responsive facilitation by Interactive, Virtuous and Environmental Singlewindow Hub"

Ministry of Environment, Forest and Climate Change  
Government of India



My Account ▾ My Proposals Environment Clearance ▾ Only CRZ Clearance ▾ My Proposals Forest Clearance ▾ My Proposals Wildlife Clearance ▾ Help ▾

1:09:00 PM

Online payment history made by User Agency under CAMPA

Help

Additional NPV

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (In Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UK/ROAD/43022/2019 Construction of VILLAGE SYUNSI TO AAMKULAIN MOTOR ROAD IN BIROKHAL BLOCK DISTT PAURI GARHWAL UTTARAKHAND	ROAD430222019128	6143022128	03 Feb 2020	CA: 0/- ,                      Addl CA : 0/- PCA: 0/- ,                      CAT : 0/- Safety Zone: 0/- ,            Addl PA : 0/- NPV: 344728/- ,              Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 344728/-	Paid	Fund Demand Verified by : 20 Jan 2025 Nodal Officer On Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 21 Jan 2025 Transaction Date : 29 Jan 2025	Demand Letter Generated Challan

Handwritten: 27 May 2017

<p>FPJK/ROAD/43504/2019 .../Newreport.aspx? id=FPJK/ROAD/43504/2019</p> <p>In District pour getwell construction of Kothib- Khibiya motor Road from NH band</p>	<p>ROAD435042019405 6143504405</p>	<p>18 Mar 2020</p>	<p>CA: 530652/- PCL: 0/- Safety Zone: 0/- Add CA: 0/- CAT: 0/- Add PA: 0/- Other Charges: 0/- YPPV: 620665/- Other: 0/- Charged1: 0/- Other: 0/- Charged2: 0/- Other: 0/- Charged3: 0/- Total: 1151317/-</p>	<p>PAID</p>	<p>Fund Demand Verified by Nodal Officer On Bank Name Mode of Payment Challan Generated On Transaction Date</p>	<p>Demand Letter (.../Newreport.aspx?id=FPJK/ROAD/43504/2019) Generated Challan (.../UserAccount/GenerateChallanCorp.aspx?id=ROAD435042019405)</p>
<p>FPJK/ROAD/43504/2019 .../Newreport.aspx? id=FPJK/ROAD/43504/2019</p> <p>Construction of VILLAGE SYLAGE TO ANKOLLAHIN MOTOR ROAD IN BIRONHAL BLOCK DISTRICT PAKIST GARHWAL (UTTARAKHAND)</p>	<p>ROAD435042019948 6115022998</p>	<p>13 Feb 2020</p>	<p>CA: 0/- PCL: 0/- Safety Zone: 0/- Add CA: 0/- CAT: 0/- Add PA: 0/- Other Charges: 0/- YPPV: 500430/- Other: 0/- Charged1: 0/- Other: 0/- Charged2: 0/- Other: 0/- Charged3: 0/- Total: 1156001/-</p>	<p>PAID</p>	<p>Fund Demand Verified by Nodal Officer On Bank Name Mode of Payment Challan Generated On Transaction Date</p>	<p>Demand Letter (.../Newreport.aspx?id=FPJK/ROAD/43504/2019) Generated Challan (.../UserAccount/GenerateChallanCorp.aspx?id=ROAD435042019948)</p>
<p>FPJK/ROAD/16722/2015 .../Newreport.aspx? id=FPJK/ROAD/16722/2015</p> <p>Construction of NALLAPUR - KMETU - KEDARGALI - KDMAGAD - GHODTYANA - BIRONHAL MOTOR ROAD</p>	<p>ROAD167222015553 6116722553</p>	<p>08 Oct 2016</p>	<p>CA: 370473/- PCL: 0/- Safety Zone: 308650/- YPPV: 0/- Other: 0/- Charged1: 0/- Other: 0/- Charged2: 0/- Other: 0/- Charged3: 0/- Total: 679023/-</p>	<p>PAID</p>	<p>Fund Demand Verified by Nodal Officer On Bank Name Mode of Payment Challan Generated On Transaction Date</p>	<p>Demand Letter (.../Newreport.aspx?id=FPJK/ROAD/16722/2015) Generated Challan (.../UserAccount/GenerateChallanCorp.aspx?id=ROAD167222015553)</p>
<p>FPJK/ROAD/10588/2015 .../Newreport.aspx? id=FPJK/ROAD/10588/2015</p> <p>Extension of Gauran Motor road to Kulyan - Dhandankhet</p>	<p>ROAD105882015153 6110588153</p>	<p>17 Nov 2016</p>	<p>CA: 547397/- PCL: 0/- Safety Zone: 0/- YPPV: 912800/- Other: 0/- Charged1: 0/- Other: 0/- Charged2: 0/- Other: 0/- Charged3: 0/- Total: 1457297/-</p>	<p>PAID</p>	<p>Fund Demand Verified by Nodal Officer On Bank Name Mode of Payment Challan Generated On Transaction Date</p>	<p>Demand Letter (.../Newreport.aspx?id=FPJK/ROAD/10588/2015) Generated Challan (.../UserAccount/GenerateChallanCorp.aspx?id=ROAD105882015153)</p>
<p>FPJK/ROAD/16539/2015 .../Newreport.aspx? id=FPJK/ROAD/16539/2015</p> <p>Extension of Maltruh-Dewarab- Kufleh-Kathunhal Motor Road</p>	<p>ROAD165392015032 11165392015032</p>	<p>09 Oct 2016</p>	<p>CA: 1417736/- PCL: 0/- Safety Zone: 0/- YPPV: 202246/- Other: 0/- Charged1: 0/- Other: 0/- Charged2: 0/- Other: 0/- Charged3: 0/- Total: 1437962/-</p>	<p>PAID</p>	<p>Fund Demand Verified by Nodal Officer On Bank Name Mode of Payment Challan Generated On Transaction Date</p>	<p>Demand Letter (.../Newreport.aspx?id=FPJK/ROAD/16539/2015) Generated Challan (.../UserAccount/GenerateChallanCorp.aspx?id=ROAD165392015032)</p>
<p>FPJK/ROAD/16722/2015 .../Newreport.aspx? id=FPJK/ROAD/16722/2015</p> <p>Construction of NALLAPUR - KMETU - KEDARGALI - KDMAGAD - GHODTYANA - BIRONHAL MOTOR ROAD</p>	<p>ROAD167222015919 61167222015919</p>	<p>09 Oct 2016</p>	<p>CA: 1119368/- PCL: 0/- Safety Zone: 0/- YPPV: 1596310/- Other: 0/- Charged1: 0/- Other: 0/- Charged2: 0/- Other: 0/- Charged3: 0/- Total: 2715678/-</p>	<p>PAID</p>	<p>Fund Demand Verified by Nodal Officer On Bank Name Mode of Payment Challan Generated On Transaction Date</p>	<p>Demand Letter (.../Newreport.aspx?id=FPJK/ROAD/16722/2015) Generated Challan (.../UserAccount/GenerateChallanCorp.aspx?id=ROAD167222015919)</p>

पिन 245-2




कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,  
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बैजरौ (गढ़वाल)  
Office of The Executive Engineer, Construction Division P.W.D. Baijro (Garhwal)  
E-mail : eepwdbaijro@rediffmail.com, eepwdbaijro01@gmail.com


पत्रांक:- /

दिनांक:- / / 2024

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि विभाग द्वारा जमा की जायेगी।

  
AE

  
(इं० लोकेश सारस्वत)  
अधिशासी अभियन्ता,  
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,  
बैजरौ (गढ़वाल)





कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,  
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बैजरौ (गढ़वाल)  
Office of The Executive Engineer, Construction Division P.W.D. Baijro (Garhwal)  
E-mail : eepwdbaijro@rediffmail.com, eepwdbaijro01@gmail.com


पत्रांक:- /

दिनांक:- / / 2024

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित निर्माण कार्य के जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कडाई से विभाग द्वारा अनुपालन किया जायेगा।

  
AE

  
(इ० लोकेश सारस्वत)  
अधिशासी अभियन्ता,  
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,  
बैजरौ (गढ़वाल)

संलग्नक 4


52


प्रारूप-30

परियोजना का नाम :-

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड बीरोंखाल में ग्राम स्यूसी होते हुये आमकुलाऊ तक मोटर मार्ग नवनिर्माण कार्य लम्बाई 7.00 कि०मी०।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना से सम्बन्धित वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न कर दिये गये हैं।

  
कार्यकारी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०  
बैजरो (गढ़वाल)

  
सहायक अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०  
बैजरो (गढ़वाल)

  
अधीनस्थ अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०  
बैजरो (गढ़वाल)



दिनांक 13-5-2019 को जिलाधिकारी गढ़वाल की अध्यक्षता में आयोजित अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2007 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थिति रही :-

1- सर्व श्री धीराज सिंह गर्ब्याल	जिलाधिकारी गढ़वाल	अध्यक्ष	
2- श्री लक्ष्मण सिंह रावत	प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी	सदस्य	
3- श्री <del>रमेश सिंह रावत</del> रमेश सिंह रावत	जिला समाज कल्याण अधिकारी, पौड़ी	सदस्य	
4- श्री यशपाल पटवाल	जिला पंचायत सदस्य	सदस्य	

बताया गया कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड बीरोंखाल में ग्राम स्यूसी होते हुये आमकुलाऊ तक मोटर मार्ग नवनिर्माण कार्य लम्बाई 7.00 कि०मी० :- निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण होना प्रस्तावित है, जिनके प्रस्ताव प्राप्त किये गये हैं। उक्त मार्गों हेतु उप स्तरीय समिति द्वारा वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सभी कार्यवाही करते हुये निर्धारित प्रपत्र निर्गत किये गये हैं। मार्ग का विवरण निम्नवत् है :-

1- जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड बीरोंखाल में ग्राम स्यूसी होते हुये आमकुलाऊ तक मोटर मार्ग नवनिर्माण कार्य लम्बाई 7.00 कि०मी० :- यह मोटर मार्ग राज्य योजना के अन्तर्गत एन०एच० 121 के स्थल ग्राम स्यूसी से प्रारम्भ होता है तथा 7.000 कि०मी० लम्बाई में समरेखण का अन्तिम स्थल ग्राम आमकुलाऊ है। इस मार्ग के निर्माण से ग्राम स्यूसी एवं आमकुलाऊ के ग्रामीणों को मोटर मार्ग से यातायात की सुविधा उपलब्ध होगी जो 3 से 6 कि०मी० तक का रास्ता पैदल तय करते है उक्त ग्रामों की आबादी क्रमशः 555 एवं 119 है। इस प्रकार इस मोटर मार्ग के निर्माण से कुल 674 जनसंख्या लाभान्वित होगी। जिसमें जनपद गढ़वाल में 0.200 कि०मी० लम्बाई में सिविल वनभूमि, 0.900 कि०मी० में सिविल वनपंचायत भूमि, 0.000 कि०मी० लम्बाई में आरक्षित वन भूमि एवं 5.900 कि०मी० लम्बाई में नाप भूमि प्रभावित होगी। मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि पर कोई आदिवासी, जनजाति एवं परम्परागत वनवासी प्रभावित नहीं हो रहे हैं। इस सम्बन्ध में खण्ड स्तरीय समिति थलीसैण द्वारा अपनी संस्तुति दी गई है। उक्त ग्रामों को मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु अन्य विकल्पों पर विचारोंपरान्त प्रस्तावित समरेखण ही उपयुक्त पाया गया है।

## निर्णय

अनुसूचित जनजातों एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता प्राप्त) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2007 के अन्तर्गत गठित उपखण्ड स्तरीय समिति थलीसैण से प्राप्त जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड बीरौखाल में ग्राम स्यूसी होते हुये आमकुलाऊ तक मोटर मार्ग नवनिर्माण कार्य लम्बाई 7.00 कि०मी०। निर्माण हेतु प्रस्तावित 0.18 है० सिविल भूमि, 0.810 है० सिविल वन पंचायत भूमि, 0.000 है० आरक्षित वनभूमि इस प्रकार कुल वनभूमि 0.990 है० लोक निर्माण विभाग को उप खण्ड स्तरीय समिति की संस्तुति के आधार पर जनहित में संक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति प्राप्त की गई है।

सभी उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक का समापन किया गया।

5-2-19  
(धीराज सिंह मर्यादा) अध्यक्ष  
जिलाधिकारी  
गढ़वाल।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० बैजरो, गढ़वाल

पत्रांक 1191/LAC/2018-19

दिनांक 13-05-2019

- प्रतिलिपि -
- 1- जिला समाज कल्याण अधिकारी पौड़ी गढ़वाल को सूचनार्थ प्रेषित।
  - 2- प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी को सूचनार्थ प्रेषित।

(आदर्श गोपाल सिंह)  
अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०  
बैजरो (गढ़वाल)

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

**FORM-1**  
(for linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector Garhwal.

No 1191/8-LAC/2018-19

Dated 13 May 2019

**TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11998-1 Cptd dated 3 August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA), for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.990 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer, Division C.D. PWD Baijro for Village Syunsi to Aamkulau Motor Road in Birokhal Block, Distt Pauri Garhwal. Length 7.000 km (purpose for diversion of forest land) in Pauri Garhwal district falls within jurisdiction of Syunsi, Aamkulau village (s) in Thalisan tehsils.

It is further certified that:

- the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.990 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee (s), Gram Sabhas (s), Sub-Division level Committees (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to annexure II.
- the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it.
- the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

**Encl:-** As above.

  
(**जिलाधिकारी**)  
District Collector, Garhwal  
13/5/19

**FORM-II**  
**(for projects other than linear projects)**

Government of Uttarakhand Office of the District Collector Garhwal.

No 1191/8-LAC/2018-19

Dated 13 May, 2019

**TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN**

In complinace of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 0.990 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of C.D. PWD Baijro (name of user agency) for Village Syunsi to Aamkulau Motor Road in Birokhal Block, Distt Pauri Garhwal. Length 7.000 km (purpose for diversion of forest land) in Pauri Garhwal district falls within jurisdiction of Syunsi, Aamkulau village (s) in Thalisan tehsils.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.990 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to annexure II.
- (b) the proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concered Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- (c) the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the garm sabha of Syunsi, Aamkulau villages(s) is enclosed as annexure III to annexure VIII.
- (d) the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;
- (e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (f) the rights of Primitve Tribal Groups and Pre-Agricultural communitis, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Eucl :- As above.

**जिलाधिकारी**  
(Dinraj Singh Garbyal)  
District Collector, Garhwal

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER  
DISTRICT GARHWAL (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Garhwal district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Dhiraj Singh Garbyal I.A.S deputy commissioner Garhwal on dated 13.05.19 at time 10:30 AM at Pauri in which application claiming rights in Syunsi, Aamkulau area measuring 0.990 hect. for the construction of Village Syunsi to Aamkulau Motor Road in Birokhal Block, Distt Pauri Garhwal. Length 7.000 km forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Thalishan sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Pauri.

Dated: 13.05.2019

Deputy Commissioner - Chairman  
District Level Committee





जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड बीरोंखाल में ग्राम स्यूसी होते हुये आमकुलाऊ तक मोटर मार्ग नवनिर्माण कार्य लम्बाई 7.00 कि०मी०।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, थलीसैण  
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र  
उपखण्ड स्तरीय समिति, थलीसैण

उपखण्ड थलीसैण परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड बीरोंखाल में ग्राम स्यूसी होते हुये आमकुलाऊ तक मोटर मार्ग निर्माण के लिये ( आरक्षित वन भूमि, 0.000 हे० सिविल वन भूमि, 0.180 हे० वन पंचायत भूमि, 0.810 अर्थात् कुल 0.990 हे० वन भूमि ) का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील थलीसैण) की दिनांक 17-3-2019 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ~~श्री~~ ~~असबाल~~ उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री ~~श्री~~ ~~असबाल~~ उपजिलाधिकारी ~~थलीसैण गढ़वाल~~ अध्यक्ष
- 2- श्री ~~श्री~~ ~~असबाल~~ उप प्रभागीय वनाधिकारी ~~गढ़वाल वन प्रभाग~~ सदस्य
- 3- श्री ~~श्री~~ ~~असबाल~~ सहायक समाज कल्याण अधिकारी ~~बीरोंखाल~~ सदस्य/सचिव
- 4- श्री ~~श्री~~ ~~असबाल~~ बी०डी०सी० क्षेत्र ~~पंचायत सदाय~~ सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड बीरोंखाल में ग्राम स्यूसी होते हुये आमकुलाऊ तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.990 हे० वन भूमि लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, थलीसैण द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड थलीसैण परिक्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम स्यूसी होते हुये आमकुलाऊ तक मोटर मार्ग हेतु 0.990 हे० वन भूमि लोक निर्माण विभाग को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

~~श्री~~ ~~असबाल~~ लाल  
उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील-थलीसैण  
जनपद पौड़ी गढ़वाल

~~श्री~~ ~~असबाल~~  
उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील-थलीसैण  
जनपद पौड़ी गढ़वाल

प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील - थलीसैण  
जनपद पौड़ी गढ़वाल

परियोजना का नाम :- जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल में विकासखण्ड बीरोखाल के अन्तर्गत ग्राम स्यूंसी होते हुये आमकुलाऊ तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (लम्बाई 7.000 किमी०)।

**:: प्रारूप-30.3 ::**

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम आमकुलाऊ  
तहसील बीरोखाल जिला उत्तराखण्ड

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल में विकासखण्ड बीरोखाल के अन्तर्गत ग्राम स्यूंसी होते हुये आमकुलाऊ तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु 0.100 हे० आरक्षित वन भूमि 0.100 हे० सिविल सोयम भूमि 0.100 हे०, वन पंचायत भूमि 0.100 हे०) अर्थात् कुल 0.100 हे० वन भूमि का लोकनिर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत आमकुलाऊ द्वारा दिनांक 15/06/2018 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। \* उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम आमकुलाऊ के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोकनिर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०

ग्राम सचिव

मुहर सहिली

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी

ग्राम पंचायत बीरोखाल

वि०ख० बीरोखाल



ग्राम प्रधान/सरपंच

मुहर सहित

:: प्रारूप-30.4 ::

दिनांक 15.06.78 को ग्राम समा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ...आर.कुल्लाके...

क्रमांक	ग्राम समा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	जयवन्त सिंह रावत	जयवन्त सिंह
2	अमर सिंह रावत	अमर सिंह
3	दीरामणी ठा. डिपल	दीरामणी
4	प्रकाश चन्द	प्रकाश चन्द
5	धीरेन्द्र कन्दारी	धीरेन्द्र सिंह
6	गवर सिंह रावत	गवर सिंह
7	अनूप सिंह रावत	अनूप सिंह
8	सादिल सिंह रावत	
9	दीपान्शु रावत	Sahil
10	रमेश कन्दारी	Ramesh Khandari
11	पान सिंह कन्दारी	Ramesh
12	गोविन्द सिंह बिष्ट	गोविन्द सिंह
13	सत्या देवी	गोविन्द सिंह
14	माया देवी	सत्या देवी माया देवी
15	दृषि पाल कन्दारी	
16	कपोत्री देवी	1982
17	दया वन्दी	कपोत्री देवी दया वन्दी
18	कान्ती देवी	कान्ती देवी

19. रमेश/गोविन्द

[Signature]

ह0

ग्राम प्रधान



परियोजना का नाम :- जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल में विकासखण्ड बीरोखाल के अन्तर्गत ग्राम स्यूसी होते हुये आमकुलाऊ तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (लम्बाई 7.000 किमी०)।

**:: प्रारूप-30.3 ::**

वन अधिकार अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम स्यूसी  
 तहसील देवीगढ़, जिला पौड़ी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल में विकासखण्ड बीरोखाल के अन्तर्गत ग्राम स्यूसी होते हुये आमकुलाऊ तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु ~~(0.400 हे०)~~ आरक्षित वन भूमि 0.180 हे० सिविल सोयम भूमि 0.180 हे०, वन पंचायत भूमि 0.810 हे०) अर्थात् कुल 0.990 वन भूमि का वोटर निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत स्यूसी द्वारा दिनांक 16-6-18 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2008 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। \* उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम स्यूसी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि वोटर निर्माण प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०  
 ग्राम सचिव  
 मुहर सहित  
Ginoh  
 ग्राम पंचायत विकास अधिकारी  
 ग्राम पंचायत स्यूसी  
 बि०ख० बीरोखाल



प्रारूप-30.4

दिनांक 16-06-18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ...खरसी...

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	जसवंत सिंह - चंदा	[Signature]
2	श्रीवेणु सिंह	[Signature]
3	विजय राम	[Signature]
4	मनतराम	[Signature]
5	करम चंद	[Signature]
6	मनवर सिंह	[Signature]
7	आनंद सिंह	[Signature]
8	विजय प्रसाद सिंह कपानी	[Signature]
9	विकास सिंह	[Signature]
10	दलवीर सिंह -	[Signature]
11	मंगल सिंह कांडा	[Signature]
12	हरिजन की ब्रह्मणी कुमारी	[Signature]
13	जलिन मोहन	[Signature]
14	बिना देवी	[Signature]
15	प्रभु देसाय सिंह कपानी	[Signature]
16	श्रीमती तुला देवी	[Signature]
17	मनवर सिंह	[Signature]
18	सुरेश सिंह शर्मा	[Signature]

- 19. राजव सिंह
- 20. लखन सिंह
- 21. सुरेश सिंह
- 22. विनेश कुमार




## प्रारूप-30


परियोजना का नाम :-

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड बीरोंखाल में ग्राम स्तूसी होते हुये आमकुलाऊ तक मोटर मार्ग नवनिर्माण कार्य लम्बाई 7.00 कि०मी०।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना से सम्बन्धित वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न कर दिये गये है।

  
कनिष्ठ अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०  
बैजरो (गढ़वाल)

  
सहायक अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०  
बैजरो (गढ़वाल)

  
अधिसूचना अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०  
बैजरो (गढ़वाल)



दिनांक 13-5-2019 को जिलाधिकारी गढ़वाल की अध्यक्षता में आयोजित अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2007 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थिति रही :-

1- सर्व श्री धीराज सिंह गर्बाल	जिलाधिकारी गढ़वाल	अध्यक्ष	
2- श्री लक्ष्मण सिंह रावत	प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी	सदस्य	
3- श्री <del>रतन सिंह रावत</del>	जिला समाज कल्याण अधिकारी, पौड़ी	सदस्य	
4- श्री यशपाल पटवाल	जिला पंचायत सदस्य	सदस्य	

बताया गया कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड बीरोंखाल में ग्राम स्यूसी होते हुये आमकुलाऊ तक मोटर मार्ग नवनिर्माण कार्य लम्बाई 7.00 कि०मी० :- निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण होना प्रस्तावित है, जिनके प्रस्ताव प्राप्त किये गये हैं। उक्त मार्गों हेतु उप स्तरीय समिति द्वारा वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सभी कार्यवाही करते हुये निर्धारित प्रपत्र निर्गत किये गये हैं। मार्ग का विवरण निम्नवत् है :-

1- जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड बीरोंखाल में ग्राम स्यूसी होते हुये आमकुलाऊ तक मोटर मार्ग नवनिर्माण कार्य लम्बाई 7.00 कि०मी० :- यह मोटर मार्ग राज्य योजना के अन्तर्गत एन०एच० 121 के स्थल ग्राम स्यूसी से प्रारम्भ होता है तथा 7.000 कि०मी० लम्बाई में समरेखण का अन्तिम स्थल ग्राम आमकुलाऊ है। इस मार्ग के निर्माण से ग्राम स्यूसी एवं आमकुलाऊ के ग्रामीणों को मोटर मार्ग से यातायात की सुविधा उपलब्ध होगी जो 3 से 6 कि०मी० तक का रास्ता पैदल तय करते हैं उक्त ग्रामों की आबादी क्रमशः 555 एवं 119 है। इस प्रकार इस मोटर मार्ग के निर्माण से कुल 674 जनसंख्या लाभान्वित होगी। जिसमें जनपद गढ़वाल में 0.200 कि०मी० लम्बाई में सिविल वनभूमि, 0.900 कि०मी० में सिविल वनपंचायत भूमि, 0.000 कि०मी० लम्बाई में आरक्षित वन भूमि एवं 5.900 कि०मी० लम्बाई में नाप भूमि प्रभावित होगी। मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि पर कोई आदिवासी, जनजाति एवं परम्परागत वनवासी प्रभावित नहीं हो रहे हैं। इस सम्बन्ध में खण्ड स्तरीय समिति थलीसैण द्वारा अपनी संस्तुति दी गई है। उक्त ग्रामों को मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु अन्य विकल्पों पर विचारोंपरान्त प्रस्तावित समरेखण ही उपयुक्त पाया गया है।

## निर्णय

अनुसूचित जनजातों एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता प्राप्त) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2007 के अन्तर्गत गठित उपखण्ड स्तरीय समिति धलीसैण से प्राप्त जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड बीरोखाल में ग्राम स्यूसी होते हुये आगकुलाऊ तक मोटर मार्ग नवनिर्माण कार्य लम्बाई 7.00 कि०मी०। निर्माण हेतु प्रस्तावित 0.18 है० सिविल भूमि, 0.810 है० सिविल वन पंचायत भूमि, 0.000 है० आरक्षित वनभूमि इस प्रकार कुल वनभूमि 0.990 है० लोक निर्माण विभाग को उप खण्ड स्तरीय समिति की संस्तुति के आधार पर जनहित में संक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति प्राप्त की गई है। सभी उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक का समापन किया गया।

(धीराज सिंह) <sup>5-24</sup>  
जिलाधिकारी  
गढ़वाल। 1

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० बैजरो, गढ़वाल

पत्रांक ...1191/LAC/2018-19

दिनांक ...13-05-2019

- प्रतिलिपि -
- 1- जिला समाज कल्याण अधिकारी पौड़ी गढ़वाल को सूचनार्थ प्रेषित।
  - 2- प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी को सूचनार्थ प्रेषित।

(आदर्श गोपाल सिंह)  
अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०  
बैजरो (गढ़वाल)



(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत रागरत वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में न्यस्त सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

**FORM-1**  
(for linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector Garhwal.

No 1191/8-LAC/2018-19

Dated 13 May 2019

**TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No F.1308-FC(I) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA), for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.990 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer, Division C.D. PWD Baijro for Village Syunsi to Aamkulau Motor Road in Birokhal Block, Distt Pauri Garhwal. Length 7.000 km (purpose for diversion of forest land) in Pauri Garhwal district falls within jurisdiction of Syunsi, Aamkulau village (s) in Thalisan tehsils.

It is further certified that:

- the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.990 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of consultations and meetings of the Forest Rights Committee (a Gram Sabha level Sub-Division level Committees) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to annexure II.
- the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it.
- the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

**Euc:-** As above.

  
(**डिप्टी डाय**)  
District Collector, Garhwal  
11/5/19

**FORM-II**  
**(for projects other than linear projects)**

Government of Uttarakhand Office of the District Collector Garhwal.  
No 1191/8-LAC/2018-19

Dated 13 May, 2019

**TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN**

In complinace of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 0.990 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of C.D. PWD Baijro (name of user agency) for Village Syunsi to Aamkulau Motor Road in Birokhal Block, Distt Pauri Garhwal. Length 7.000 km (purpose for diversion of forest land) in Pauri Garhwal district falls within jurisdiction of Syunsi, Aamkulau village (s) in Thalisan tehsils.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.990 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to annexure II.
- (b) the proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerred Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- (c) the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the garm sabha of Syunsi, Aamkulau villages(s) is enclosed as annexure III to annexure VIII.
- (d) the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;
- (e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (f) the rights of Primitve Tribal Groups and Pre-Agricultural communitis, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Eucl :- As above.

**जिलाधिकारी**  
(Dhiraj Singh Garbyal)  
District Collector, Garhwal

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER  
DISTRICT GARHWAL (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Garhwal district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Dhiraj Singh Garbyal I.A.S deputy commissioner Garhwal on dated 13.05.19 at time 10:30 AM at Pauri in which application claiming rights in Syunsi, Aamkulau area measuring 0.990 hect. for the construction of Village Syunsi to Aamkulau Motor Road in Birokhal Block, Distt Pauri Garhwal. Length 7.000 km forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Thalishan sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.


Place: Pauri.....

Dated: 13.05.2019


D.R.  
Deputy Commissioner - Chairman  
District Level Committee  
11.4.19

It is further Certified that minutes of meeting of Construction of Village Syunsi to Aamkulau Motor Road in Birokhal Block, District Garhwal. Length 7.000 km regarding F.R.A. is as following:-

Sl. No.		Remarks
(a)	The Complete process of identification and settlement of rights under the FRA had been carried out for the entire 0.990 hectares area proposed for diversion. A copy of record of all consultation and meeting of the forest rights committee (s), Sub Division level committee (s) are enclosed as annexure.	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
(b)	The Diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the gram sabhas have been given consent to it.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to Scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. No Objection certificate concerned villages regarding construction of aforesaid construction of motor road is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal groups and pre agricultural Communities.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

  
 Member District Board  
 Pauni Garhwal

  
 District Social Welfare Officer  
 Pauni Garhwal

  
 Divisional Forest Officer  
 Pauni Garhwal

(सहायक जिला पंचायत)  
 पौड़ी (गढ़वाल)  
 Executive Magistrate  
 Pauni Garhwal  
 बंजरो (गढ़वाल)

  
 District Collector  
 Pauni Garhwal  
 गढ़वाल

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड बीरोंखाल में ग्राम स्यूंसी होते हुये आमकुलाऊ तक मोटर मार्ग नवनिर्माण कार्य लम्बाई 7.00 कि०मी०।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, थलीसैण  
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र  
उपखण्ड स्तरीय समिति, थलीसैण

उपखण्ड थलीसैण परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड बीरोंखाल में ग्राम स्यूंसी होते हुये आमकुलाऊ तक मोटर मार्ग निर्माण के लिये ( आरक्षित वन भूमि, 0.000 हे० सिविल वन भूमि, 0.180 हे० वन पंचायत भूमि, 0.810 अर्थात कुल 0.990 हे० वन भूमि ) का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील थलीसैण) की दिनांक 17-3-2019 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ~~मोहन लाल~~ उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री ~~मोहन लाल~~ उपजिलाधिकारी थलीसैण गढ़वाल अध्यक्ष
- 2- श्री ~~मोहन लाल~~ उप प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग सदस्य
- 3- श्री ~~मोहन लाल~~ सहायक समाज कल्याण अधिकारी बीरोंखाल सदस्य / सचिव
- 4- श्री ~~मोहन लाल~~ बी०डी०सी० क्षेत्र पंचायत सदस्य मो. ~~मोहन लाल~~ सदस्य वेणु

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड बीरोंखाल में ग्राम स्यूंसी होते हुये आमकुलाऊ तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.990 हे० वन भूमि लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, थलीसैण द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड थलीसैण परिक्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम स्यूंसी होते हुये आमकुलाऊ तक मोटर मार्ग हेतु 0.990 हे० वन भूमि लोक निर्माण विभाग को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

~~मोहन लाल~~  
उप जिलाधिकारी  
थलीसैण गढ़वाल

~~मोहन लाल~~  
उप प्रभागीय वनाधिकारी  
गढ़वाल वन प्रभाग

उप जिलाधिकारी /अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील-थलीसैण  
जनपद पौड़ी गढ़वाल

प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी /अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील - थलीसैण  
जनपद पौड़ी गढ़वाल

परियोजना का नाम :- जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल में विकासखण्ड बीरोखाल के अन्तर्गत ग्राम स्यूंसी होते हुये आमकुलाऊ तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (लम्बाई 7.000 किमी०)।

**:: प्रारूप-30.3 ::**

**वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र**

ग्राम पंचायत का नाम आमकुलाऊ  
तहसील वीरोखाल जिला उत्तराखण्ड

**अनापत्ति प्रमाण पत्र**

उत्तराखण्ड में जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल में विकासखण्ड बीरोखाल के अन्तर्गत ग्राम स्यूंसी होते हुये आमकुलाऊ तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु 0.100 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.100 हे० सिविल सोयम भूमि, 0.810 हे० वन पंचायत भूमि 0.810 हे०) अर्थात् कुल 0.810 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत आमकुलाऊ द्वारा दिनांक 15/06/2018 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। \* उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम आमकुलाऊ के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



ग्राम प्रधान/सरपंच  
मुहर सहित

ह०  
ग्राम सचिव  
मुहर सहित  
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी  
ग्राम पंचायत.....वीरोखाल  
वि०ख०.....बीरोखाल

:: प्रारूप-30.4 ::

दिनांक 15.06.78 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ...आर.कु.कुं...

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	जसवंत सिंह रावत	जसवंत सिंह
2	अमर सिंह रावत	अमर सिंह
3	दीरामणी ठा. विपल	दीरामणी
4	प्रकाश व्यन्त	प्रकाश व्यन्त
5	धीरेन्द्र कन्दारी	धीरेन्द्र सिंह
6	गवर सिंह रावत	गवर सिंह
7	अनूप सिंह रावत	अनूप सिंह
8	साहिल सिंह रावत	Sahil
9	वीपानशु रावत	वीपानशु रावत
10	रमेश कन्दारी	Ramesh Kandari
11	पान सिंह कन्दारी	Pan Singh
12	गोविन्द सिंह बिष्ट	गोविन्द सिंह
13	सत्या देवी	सत्या देवी
14	माया देवी	माया देवी
15	दृषि पाल कन्दारी	दृषि पाल
16	कपोत्री देवी	कपोत्री देवी
17	दया वली	दया वली
18	काली देवी	काली देवी

19. रमेश/गोविन्द

[Signature]

ह0  
ग्राम प्रधान

परियोजना का नाम :- जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल में विकासखण्ड बीरोखाल के अन्तर्गत ग्राम स्यूंसी होते हुये आमकुलाऊ तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (लम्बाई 7.000 किमी०)।

**:: प्रारूप-30.3 ::**

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम स्यूंसी  
तहसील चौबट्टाखाल जिला पौड़ी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल में विकासखण्ड बीरोखाल के अन्तर्गत ग्राम स्यूंसी होते हुये आमकुलाऊ तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु ~~0.100~~ हे० आरक्षित वन भूमि 0.180 हे० सिविल सोयम भूमि... हे०, वन पंचायत भूमि 0.810 हे०) अर्थात् कुल 0.990 हे० वन भूमि का व्यक्त निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत स्यूंसी द्वारा दिनांक 16-6-18 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। \* उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम स्यूंसी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि व्यक्त निर्माण प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०  
ग्राम सचिव  
मुहर सहित  
Ginoh  
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी  
ग्राम पंचायत... स्यूंसी ...  
वि०ख०... बीरोखाल





:: प्रारूप-30.4 ::

दिनांक 16-06-18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ...खैरी...

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	जसवंत सिंह - चौध	
2	धीरेन्द्र सिंह	
3	विजय राम	
4	मनतराम	
5	करम चन्द	
6	मनवर सिंह	
7	आनन्द सिंह	
8	विजय प्रकाश सिंह कपूर	
9	मनवर सिंह	
10	दलवीर सिंह -	
11	मनवर सिंह कपूर	
12	शिवकी प्रसन्नी कुमार	
13	पलित मोहन	
14	श्रीना देवी	
15	प्रभु केशव सिंह कपूर	
16	शिवकी कुला देवी	
17	मनवर सिंह	
18	सुरेश सिंह शर्मा	

- 19. राजवत सिंह
- 20. लखन सिंह
- 21. कुलदेव सिंह
- 22. दिनेश कुमार

